

**Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar**

1st Floor, Vidyut Bhawan-II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250-4960; e-mail : info@brlp.in; Website : www.brp.in

Ref NO : — BRLPS/प्र०४- F.I/ ५९७/१४/VOL-VI/2068

Date - 06.09.21

कार्यालय- आदेश

(पंचसूत्र के अवयवों को उत्कृष्टता प्रदान करने हेतु)

जीविका परियोजना के द्वारा समूह के सदस्यों का जीविकोपार्जन संवर्धन करने हेतु पूँजी (परियोजना के माध्यम से एवं बैंकों के माध्यम से) सुगमता पूर्वक उपलब्ध करवायी जाती है। समूहों के सतत संचालन हेतु "पंचसूत्र" के अवयव यथा नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित लेन-देन, नियमित वापसी एवं नियमित लेखा संधारण की परिकल्पना की गयी है। सभी परियोजनाकर्मियों का दायित्व है कि "पंचसूत्र" के अवयवों को धरातल पर उतारा जाए एवं इसकी उत्कृष्टता अद्वृत्त रखी जाए। जीविकोपार्जन संवर्धन एवं पूँजी की उपलब्धता का अटूट रिश्ता है। "पंचसूत्र" के अवयव को क्रियान्वयित करने एवं इसमें उत्कृष्टता लाने हेतु निम्नलिखित रणनीति पर कार्य करना निर्देशित है:

- (क) सभी परियोजनाकर्मी "पंचसूत्र" के समस्त अवयवों को समूह स्तर पर क्रियान्वयन करने हेतु समुचित प्रयत्न करेंगे ताकि समूहों एवं सदस्यों का गुणात्मक विकास हो सके।
- (ख) सितम्बर महीना बैंकों के नजरिये से महत्वपूर्ण होता है। अतः सभी परियोजनाकर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि समूह के द्वारा बैंक से ली गयी ऋण की ससमय वापसी हो। इससे सदस्यों एवं समूह की क्रियाशीलता बैंक के समक्ष स्थापित होगी एवं भविष्य में भी स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु पूँजी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।
- (ग) ससमय वापसी से समूह को व्याज अनुदान (Interest Subvention) का व्यापक लाभ मिल सकेगा। ससमय वापसी से होने वाले लाभ को संकुल संघ, ग्राम संगठन एवं समूह स्तर पर व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए।
- (घ) ऋण वापसी प्रतिशत समूह की क्रियाशीलता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। अतः सभी परियोजनाकर्मी इस हेतु व्यापक प्रयत्न कर बैंक ऋण वापसी सुनिश्चित करें।
- (ङ) सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक अपने क्षेत्र के बैंकों के साथ बात कर NPA एवं PNPA समूहों में संबंधित परियोजनाकर्मी एवं कम्युनिटी मोबलाइजर के साथ मिलकर ऋण वापसी करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- (च) सभी **Block Mentors** को निर्देशित है कि संकुल संघ, ग्राम संगठन एवं समूह का भ्रमण कर उपर्युक्त उद्देश्य में प्रखंड क्रियान्वयन इकाई को सहयोग प्रदान करेंगे। जिला परियोजना

प्रबंधक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि Block Mentors के द्वारा “पंचसूत्र” के अवयव पर कार्य पूरी दृढ़ता एवं मुश्तैदी के साथ किया जा रहा है।


(छ) समुदाय संचालित ऋण वापसी की प्रक्रिया उन गाँवों, पंचायतों अथवा प्रखंडों में नहीं की जाएगी जो बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं जिला परियोजना प्रबंधक के द्वारा इस हेतु समन्वय स्थापित किया जाएगा एवं इसकी जानकारी राज्य इकाई से साझा की जाएगी।

(ज) सितम्बर 2021 के महीने में जिला परियोजना प्रबंधकों के साथ होने वाली “**Weekly Review**” का मुख्य बिंदु बैंकों की ऋण वापसी होगी। अतः इस हेतु व्यापक रणनीति बनाकर दैनिक रूप से monitoring जरूरी है। यह विदित है कि अभी तक जीविका समूहों का वापसी प्रतिशत 98.5% से ऊपर ही रहा है। अतः इसे अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी सभी परियोजना कर्मियों की है।

(झ) सभी स्तर के सामुदायिक संगठनों (समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल संघ) में परियोजना द्वारा दी गयी सामुदायिक निवेश निधि (CIF- Community Investment Fund) की राशि का परिक्रमण (**Rotation**) व्यापक रूप से करने हेतु रणनीति तैयार कर क्रियान्वयित करने की जरूरत है। प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं जिला परियोजना प्रबंधक के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए।

(ञ) **District Mentors** द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समूह स्तर पर “पंचसूत्र” के अवयवों का पालन करवाने में जिले में अवस्थित सभी परियोजनाकर्मियों का योगदान उल्कृष्टता के साथ समेकित रूप में हो। District Mentors यह सुनिश्चित करें कि बैंक ऋण वापसी का कार्य सफल हो ताकि भविष्य में जीविकोपार्जन संबंधी जरूरतों की पूर्ति हेतु पूँजी उपलब्ध हो एवं सामुदायिक संगठन मजबूत हो सकें।

ऋण वापसी की समस्त प्रक्रिया समुदाय संचालित होगी एवं समुदाय की भागीदारी से क्रियान्वयित की जाएगी। यह निर्देशित है कि उपर्युक्त रणनीति का क्रियान्वयन जिला परियोजना प्रबंधक के द्वारा तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाएगा।



०६/०९/२०२१
(बालामुरूगण डी०, भा०प्र०से०)

जीविका

प्रतिलिपि:

1- समस्त परियोजनाकर्मी